तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-2-19	पत्रावली पेश हुई ~~अभिभाषक उभय पक्ष~~ ~~अनुपस्थित~~ हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 8-3-19 को पेश हों।	
8.3.19.	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी तथा पेरोकार सरकार उपस्थित। धारा 136 LR Act के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29.3.19 को पेश हो।	
29-3-19	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित आदेश सुनाया गया प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

प्रार्थना पत्र संख्या 46/2016

दायरा दिनांक :– 11.08.2016

पीठासीन अधिकारी
गोरधनलाल मीना (RAS)

बउनवान

1. रामेश्वर उर्फ बद्री आत्मज श्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी ग्राम शेरगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

– प्रार्थी –

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज.)

– अप्रार्थी –

पार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट
आदेश 7 नियम (1) व्य0 प्र0सं0

निर्णय

दिनांक :– 29.03.2019

प्रार्थी ने पार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट0 में प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता संख्या पुराने 45 नये 49 के खसरा नं0 23 रकबा 1.39 हैक्टयर, खसरा नं0 48 रकबा 0.48 हैक्टयर, खसरा नं0 48 रकबा 0.51 हैक्टयर, खसरा नं0 52 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नं0 144 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नं0 172 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नं0 178 रकबा 2.18 हैक्टयर, खसरा नं0 216 रकबा 0.84 हैक्टयर, खसरा नं0 373 रकबा 0.28 हैक्टयर, खसरा नं0 390 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नं0 416 रकबा 0.01 हैक्टयर कुल 11 किता कुल रकबा 9.24 हैक्टयर कृषि भूमि वाके ग्राम ढोबरली पटवार क्षैत्र चाणदाखुर्द एवं भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बलवन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0) मे विस्थित है। उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी उक्त कृषि भूमि पर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात से सहखातेदारान के साथ काबिज काश्त चला आ रहा है।

प्रार्थी ने दिनांक 08.07.2016 को अपने खाते की नकल निकलवायी तब प्रार्थी को पता चला कि प्रार्थी के खाते में रामेश्वर के स्थान पर बदरी अंकित है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का नाम रामेश्वर के स्थान पर बदरी अंकित कर दिया है। प्रार्थी को यह अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के अपना नाम बदरी के स्थान पर रामेश्वर करायें। प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में रामेश्वर नाम अंकित है। बदरी प्रार्थी का घर का बोलता नाम है। जिसे प्रार्थी विलोपित करवाकर वास्तविक नाम रामेश्वर अंकित करवाना चाहता है। प्रार्थी का नाम रामेश्वर होने की वजह से प्रार्थी को के0सी0सी0 व अन्य बैंकिग ऋण

[Type text]

उपखण्ड अधिकारी

लगातार

लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में बदरी के स्थान पर रामेश्वर अंकित किये जाने से राज्य सरकार एवं सहखातेदारन के हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडता है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम बदरी पिता जगन्नाथ को विलोपित कर रामेश्वर पिता जगन्नाथ दर्ज किया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थी ने अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 ग्राम डोबरली, नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 ग्राम शेरगंज पटवार हल्का बोरदा तहसील पीपल्दा एवं मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी चाणदाखुर्द पेश किये। एवं स्वयं के आधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र, खसरा मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2041–2060, नकल नामान्तकरण, ग्राम शेरगंज पटवार हल्का बोरदा तहसील पीपल्दा की जमाबन्दी सम्वत 2056–2059 की नकल की छाया प्रतियां पेश किये। एवं मौखिक साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र पेंश किया।

प्रार्थी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी के पिता जगन्नाथ की मृत्यु के बाद फौती इन्तकाल खोलते समय प्रार्थी का बोलता नाम बदरी पिता जगन्नाथ राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी का नाम सभी आवश्यक दस्तावेजों में रामेश्वर पिता जगन्नाथ दर्ज है। प्रार्थी वर्तमान में ग्राम शेरगंज हल्का बोरदा तहसील पीपल्दा में निवास करता है। प्रार्थी की ग्राम शेरगंज में स्थित कृषि भूमि मे रामेश्वर पिता जगन्नाथ दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अतः प्रार्थी का नाम बदरी के स्थान पर रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ दर्ज किये जाने के आदेश फरमायें जावें।

प्रार्थी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के पिता जगन्नाथ निवासी शेरगंज के वारिसान की जांच के सम्बन्ध में तहसीलदार भू.अ. पीपल्दा से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट एवं नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 ग्राम शेरगंज पटवार हल्का बोरदा तहसील पीपल्दा में स्थित कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ दर्ज राजस्व रिकार्ड है। एवं प्रार्थी द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत सभी दस्तावेजो के अवलोकन से प्रार्थी का नाम रामेश्वर पिता जगन्नाथ दर्ज है। अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझतें है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार इन्द्रगढ को आदेश दिया जाता है कि खाता संख्या पुराना 45 नया 49 जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 वाके ग्राम डोबरली पटवार हल्का चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ में प्रार्थी का दर्ज नाम बदरी पिता जगन्नाथ को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर रामेश्वर पिता जगन्नाथ राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दुरूस्त किया जावें।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 29.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

[Type text]